41–(08)–77–2019

पटना में दिनांक–31 मई, 2019 शुक्रवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा संवर्ग के मुख्य वन संरक्षक कोटि एवं वन संरक्षक कोटि के कुल 05 गैर संवर्गीय पदों के अवधि विस्तार के संबंध में।

1. स्वीकृत।

वित्त विभाग

4. लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में।

4. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5. श्री अनिल कुमार झा, तत्कालीन अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिला सत्र न्यायालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक–एक औषधालय स्थापित करते हुए प्रति औषधालय में विभिन्न कोटि के 5 (पाँच) पद अर्थात् कुल 38x5=190 पदों के सृजन की स्वीकृति।

6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. डा० योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, रूपौली, सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड, कटिहार के बर्खास्तगी आदेश पर पुनर्विचारण के लिये तत्काल बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. श्री राकेश कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत रू० 384.00 करोड़ (तीन सौ चौरासी करोड़ रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल–गिरियक के मौजा–पुरी, थाना सं०–333 के विभिन्न खाता, खेसरा (अनुलग्नक–I) में कुल रकबा–3.00 (तीन) एकड़ बर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी की भूमि किस्म अर्जित, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान, अगमकुँआ, पटना द्वारा उच्च श्रेणी के चिकित्सा संस्थान निर्माण हेतु, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार–गठन/प्रबंधन एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2019 की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. किशनगंज जिलान्तर्गत एस०एस०बी० कैम्प 12वीं बटालियन पाठामारी (ठाकुरगंज) निर्माण हेतु ठाकुरगंज अंचल अन्तर्गत मौज–दल्लेगाँव, थाना नं०–56, खाता नं०–178, खेसरा नं०–03, कुल रकबा–5 (पाँच) एकड़ गैरमजरूआ खास, बिहार सरकार की भूमि मो० 20,000/–(बीस हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,00,00,000/–(एक करोड़) रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 50,00,000/–(पचास लाख) रू० सहित कुल–1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख) रू० के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2019–20 में तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना मद से ₹3300.00 लाख (तैंतीस करोड़) राशि की विमुक्ति की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2020 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 8020.04 करोड़ रूपये करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

17. परिवहन विभाग के अन्तर्गत चलंत दस्ता सिपाही के पूर्व से स्वीकृत 25 पदों को छोड़कर चलन्त दस्ता सिपाही (लेवल–2, पुनरीक्षित वेतनमान 19900–63200) के अतिरिक्त 465 पद एवं नवसृजित परिवहन हवलदार (लेवल–4, पुनरीक्षित वेतनमान 25500–81100) के 48 पद तथा नवसृजित प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक (लेवल–5, पुनरीक्षित वेतनमान 29200–92300) के 48 पद के सृजन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 108.4164 करोड़ रूपये (एक सौ आठ करोड़ एकतालिस लाख चौंसठ हजार रू० मात्र) के व्यय पर दानापुर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 103.27 करोड़ रूपये (एक सौ तीन करोड़ सताईस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 5.1464 करोड़ रू० (पांच करोड़ चौदह लाख चौंसठ हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 48.6583 करोड़ रूपये (अड़तालिस करोड़ पैंसठ लाख तेरासी हजार रू० मात्र) के व्यय पर फुलवारीशरीफ शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 46.25 करोड़ रूपये (छियालीस करोड़ पचीस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 2.4083 करोड़ रू० (दो करोड़ चालिस लाख तेरासी हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

21. श्रमायुक्त, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन श्रम कल्याण केन्द्रों में श्रम कल्याण पदाधिकारी (पर्यवेक्षकीय) वेतनमान पी०बी०–2, ग्रेड पे–4200/–के सृजित कुल–13 (तेरह) पदों को मरणशील/समाप्त घोषित करने के संबंध में।

21. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

22. "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं के बेतहर गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु गठित त्रिस्तरीय निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा प्रबंधन एवं मोनेटरींग प्रणाली के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प (6ए/ वि०1–10165/17–848, दिनांक–25.04.2018) की कंडिका 2(v) में संशोधन की स्वीकृति।

22. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

23. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं अन्य श्रोतों से क्रियान्वित रू० 2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बीड् डोक्यूमेंट के कतिपय प्रावधानों में संशोधन एवं विभाग के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के शक्तियों में संशोधन तथा सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने, टर्न ओभर एवं समान प्रकृति के कार्य अनुभव में छूट, निविदा निष्पादन की शक्ति के विकेन्द्रीकरण, योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, समय अवधि विस्तार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा का निस्तार से संबंधित वर्तमान प्रावधानों/शक्तियों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**